

संख्या- 140/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ:दिनांक : 29/01/2024

विषय-वज्रपात के कारण प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित 10 जनपदों में जनपद, विकास खंड तथा ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने हेतु कैपिसिटी बिल्डिंग मद से धनराशि रु० 28,43,45,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-927/रा०आ०प्र०प्रा०/2023-24, दिनांक- 05.01.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के माध्यम से वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 जनपदों (संलग्न तालिका-1 में उल्लिखित) में 10 जनपद स्तरीय, 136 विकास खण्ड स्तरीय एवं 170 ग्राम पंचायत स्तरीय वज्रपात अवेयरनेस प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं माइकिंग के माध्यम से वज्रपात से बचाव के उपायों का प्रचार प्रसार कराये जाने हेतु निम्न नलिखित व्यय विवरण के अनुसार हेतु कुल धनराशि रु० 28,43,45,000.00 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद स्तरीय प्रशिक्षण व्यय हेतु @ 1.5.00 लाख प्रति जनपद	विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु व्यय @ 50000.00 प्रति विकास खण्ड	ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण हेतु व्यय @ 15000.00 प्रति ग्राम पंचायत	वाहनों से 680 माइकिंग हेतु व्यय @ 1000.00 प्रति दिन
1	10 X 150000	136 X 50000	17043 X 15000	680 X 1000 X 30
	15,00,000	68,00,000	25,56,45,000	2,04,00,000
	कुल			28,43,45,000

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं

प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किये जाने में मितव्ययता का अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013 रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7) प्रश्नगत कार्यक्रम/प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु स्वयं किसी विशेषज्ञ संस्था का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर ई-टेंडरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से चयन किया जाये।

(8) प्रशिक्षण निर्धारित माइयूल के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा और प्रशिक्षण की उपयोजिता का फीड बैक लेते हुए शासन को अवगत भी कराया जायेगा।

(9) एस०डी०एम०ए० द्वारा उक्त कार्यक्रम ई-टेंडर/जेम पोर्टल के माध्यम से संस्था का चयन कर पूरी गुणवत्ता के साथ उक्त अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जायेगा तथा पूर्व में वज्रपात से संबंधित अवेयरनेस कार्यक्रम फेज-1 एवं फेज-2 के अंतर्गत सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज एवं ललितपुर चलाया गया है, उसका इम्पैक्ट असिसमेन्ट किसी थर्ड पार्टी यूनिसेफ या अन्य कोई अधिकृत संस्था से कराते हुए उसका आउटपुट शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वज्रपात से बचाव का अवेयरनेस कार्यक्रम किसी अन्य योजना के अंतर्गत इन 10 जनपदों में चलाया तो नहीं गया है और यदि चलाया गया है तो दुरावृत्त की स्थिति में संबंधित जनपद एवं एस०डी०एम०ए० इसके लिए उत्तरदायी होंगे। इस योजना में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य योजना में आच्छादित होने पर की दुरावृत्त की स्थिति उत्पन्न न होने पाये यह जिम्मेदारी संबंधित जनपद एवं एस०डी०एम०ए० की होगी।

(10) उक्त कार्य पूरी निष्ठ एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण कराया जाय जिससे सम्बन्धित व्यक्तियों को अपेक्षित लाभ मिल सके।

(11) सम्बन्धित 10 जनपदों द्वारा 50 प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के इस प्रकरण में प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कार्य पूर्ण कराये जाने में पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 28,43,45,000.00 करोड (रु० अट्ठाईस करोड तैंतालीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 51 लेखा शीर्षक "2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहतआयोजनेत्तर-05 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-

231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न: 4 फाइलें

भवदीय,

Digitally Signed by राम

केवल

Date: 29-01-2024 18:32:15

(राम केवल)
Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या-140(1)/एक-10-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र०, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा एस०डी०एम०ए०।
- 3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ० प्र०।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ० प्र० शासन।
- 5- वित्त नियंत्रक, उ० प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

जनपद का नाम	विकास खण्डों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
फतेहपुर	13	1552
गाजीपुर	16	1237
बलिया	17	2361
बांदा	8	761
हमीरपुर	7	331
आजमगढ़	22	4127
चन्दौली	9	1651
कौशाम्बी	8	451
देवरिया	16	1124
गोरखपुर	20	3448
कुल	136	17043

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/01/2024

प्रेषण संख्या:- 140
आवंटन आदेश संख्या:- 001-140
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	284345000 639104369	284345000 639104369
	योग	वर्तमान प्रगामी	284345000 639104369	284345000 639104369

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठाईस करोड़ तियालीस लाख पैतालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिरेसठ करोड़ इकानवे लाख चार हजार तीन सौ उनहत्तर

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन